

महाराष्ट्र माहिती अधिकार अधिनियम,2005

माहिती अधिकार अधिनियम,2005 च्या कलम 4 (1) (ख) नुसार महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषद 17 निरनिराळ्या बाबींवरील माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करीत आहे :-

कलम 4 (1) (b) (i)

महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषद, मुंबई येथील प्रबंधकांचे कार्यालयातील कार्ये व कर्तव्ये यांचा तपशील

कार्यालयाचे नांव :- महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषद

पत्ता :- राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय आवार,
लाल बहादुर शास्त्री मार्ग,
मुलुंड (पश्चिम),
मुंबई-400080

कार्यालय प्रमुख :- प्रबंधक

शासकीय विभागाचे नांव :- महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषद (सदरहू संस्था ही महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त संस्था आहे.)

कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अधिनस्त :- वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

कार्यक्षेत्र : भौगोलिक / कार्यानुरूप :- संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य.

विशिष्ट कार्ये :-

- 1) औषध व्यवसाय अधिनियम,1948 च्या कलम 32(2) नुसार भारतीय औषध व्यवसाय परिषदने मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक संस्थांमधून फार्मसी पदविका अथवा पदवी प्राप्त विद्यार्थ्यांना पंजीकरण देणे व त्या अनुषंगिक इतर कार्यवाही करणे.
- 2) औषध व्यवसाय अधिनियम,1948 च्या कलम 26 (क) नुसार निरीक्षकांची नियुक्ती करून महाराष्ट्र राज्यात सदर कायद्याच्या कलम 42 ची अंमलबजावणी करणे.
- 3) औषध व्यवसाय अधिनियम,1948 च्या कलम 29 नुसार पंजिकृत औषध व्यवसायींची नोंदवही तयार करणे व अदायावत ठेवणे.
- 4) औषध व्यवसाय अधिनियम,1948 च्या कलम 19 अन्वये निवडणूकाकरीता पंजिकृत औषध व्यवसायींची मतदार यादी तयार करणे
- 5) औषध व्यवसाय अधिनियम,1948 च्या कलम 36 नुसार पंजिकृत औषध व्यवसायीच्या व्यावसायिक गैरवर्तणूकीबाबत नियमानुसार कार्यवाही करणे.

विभागाचे ध्येय/धोरण :-

औषधविषयक पेशा व व्यवसाय यांचे विनियमन करण्यासाठी अधिक चांगली व्यवस्था करणे.

सर्व संबंधित कर्मचारी, कार्य,
कामाचे विस्तृत स्वरूप :-कलम 4 (1) (ब) (ix) प्रमाणे.

मालमत्तेचा तपशील - परिषदेचे वाहन.

इमारती व जागेचा तपशील :- राज्य कामगार विमा योजना रुगणालय, मुळुङ्ड, मुंबई येथील आवाराच्या इमारतीत भाडेतत्वावरील जागा.

- उपलब्ध सेवा :-
- 1) पंजिकृत औषध व्यवसायी, डॉक्टर्स, औषध व्यवसायाशी संलग्न इतर व्यावसायिक, सामान्य रुग्ण यांच्या औषध विषयक प्रश्नांना फोन, पत्र, ईमेल इ. माध्यमातून परिषदेने सुरु केलेल्या औषध माहिती केन्द्रातर्फे माहिती दिली जाते.
 - 2) पंजिकृत औषध व्यवसायींचे ज्ञान अद्यावत होण्याच्या दृष्टीने उजळणी पाठ्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते.
 - 3) परिषदेच्या कार्यालयापासून दूर रहाणा-या औषध व्यवसायींच्या सोयीकरीता पंजीकरण व इतर अनुषंगिक बाबींकरीता स्थानिक महाविद्यालये/ औषध व्यवसायींच्या संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने शिबीरांचे आयोजन करण्यात येते.

कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक व वेळा :-

25684291, 25684418

सकाळी 9.45 ते संध्याकाळी 5.30.

साप्ताहिक सुट्टी

:- प्रत्येक महिन्यातील दुसरा व चौथा शनिवार व सर्व रविवार आणि सर्व शासकीय सुट्ट्या.

विशिष्ट सेवेसाठी ठरविलेल्या वेळा

:- औषध व्यवसायींकरीता नोंदणी व इतर अर्ज सादर करण्याची वेळ
सोमवार ते शुक्रवार - सकाळी 10.30 ते दुपारी 2
शनिवार (कामाचे) - सकाळी 10.30 ते 12.30

कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना (अ)

महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषद, मुंबई येथील प्रबंधकांच्या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अधिकारांचा तपशील

अ आणि ब

| अनु.क्र. | पदनाम | अधिकार -आर्थिक/ प्रशासकीय | कोणत्या कायद्या/ नियम/शासन निर्णय / परिपत्रकानुसार | अभिप्राय |
|----------|---------|--|---|----------|
| 1 | प्रबंधक | 1) परिषदेच्या अध्यक्षांच्या पूर्वपरवानगीने कार्यालयीन कामकाजाच्या आवश्यकतेनुसार तात्पुरती अतिरिक्त सहाय्य उपलब्ध करून घेणे. 2) कार्यालयाच्या संपूर्ण व्यवस्थापनावर नियंत्रण ठेवणे. खजिनदार, लिपिक व इतर कर्मचारी यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे | औषध व्यवसाय अधिनियम, 1948 व महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषद नियम, 1969 | |

क

| अनु.क्र. | पदनाम | अधिकार -फौजदारी | कोणत्या कायद्या/ नियम/शासन निर्णय / परिपत्रकानुसार | अभिप्राय |
|-----------|-------|-----------------|--|----------|
| लागू नाही | | | | |

ड

| अनु.क्र. | पदनाम | अधिकार-अर्धन्यायीक | कोणत्या कायद्या/ नियम/शासन निर्णय / परिपत्रकानुसार | अभिप्राय |
|----------|-------|--------------------|--|----------|
| | | | | |

कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना (ब)

अ आणि ब

| अनु.क्र. | पदनाम | कर्तव्ये -आर्थिक/ प्रशासकीय | कोणत्या कायदा/ नियम/शासन निर्णय / परिपत्रकानुसार | अभिप्राय |
|----------|---------|---|--|----------|
| 1 | प्रबंधक | <p>1) पंजिकृत औषध व्यवसायांची नोंदवही कायद्यातील कलमानुसार अद्यायावत ठेवणे .</p> <p>2) परिषदेच्या व कार्यकारी समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहून बैठकीचा इतिवृत्तांत तयार करणे</p> <p>3) परिषदेचा सचिव म्हणून कायर्यालयाचे संपूर्ण कामकाज पहाणे, संबंधित पत्रव्यवहार करणे व आवश्यक त्या अधिसूचना पाठविणे.</p> <p>4) कायद्याप्रमाणे व नियमानुसार अभिप्रेत असलेली इतर कर्तव्ये पार पाडणे.</p> | <p>औषध व्यवसाय अधिनियम,1948 व महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषद नियम,1969</p> | |

क

| अनु.क्र. | पदनाम | कर्तव्ये -फौजदारी | कोणत्या कायदा/ नियम/शासन निर्णय / परिपत्रकानुसार | अभिप्राय |
|----------|-------|-------------------|--|----------|
| | | | | |

ड

| अनु.क्र. | पदनाम | कर्तव्ये -अर्धन्यायिक | कोणत्या कायदा/ नियम/शासन निर्णय / परिपत्रकानुसार | अभिप्राय |
|----------|-------|-----------------------|--|----------|
| | | | | |

कलम 4 (1) (ब) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदाईत्व निश्चित करून कार्यपद्धतीचे प्रकाशन (कामाचा प्रकार/नांव)

पंजीकरण

कामाचे स्वरूप :- पंजीकरण

संबंधित तरतूद :- कलम 32(2)

अधिनियमाचे नाव :- औषध व्यवसाय अधिनियम,1948

नियम :- नियम 53 ते 61, महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषद नियम,1969

शासन निर्णय :- निरंक

परिपत्रके :- निरंक

कार्यालयीन आदेश :- निरंक

| अनु.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
|----------|--|---|----------------------------------|----------|
| 1 | औषध व्यवसाय अधिनियम,1948 च्या कलम 32(2) नुसार भारतीय औषध व्यवसाय परिषदेने मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक संस्थांमधून फार्मसी पदविका अथवा पदवी प्राप्त विद्यार्थ्यांच्या अर्जावर कार्यवाही करून उपनिबंधकांनी मान्यतेसाठी प्रबंधक /काही विशेष प्रकरणांमध्ये कार्यकारी समितीकडे पाठविणे. | सर्वसाधारणपणे एक महिना (ज्या प्रकरणामध्ये महाविद्यालय/इतर राज्य परिषदा यांच्याकडून खातरजमा करावयाची असते त्या प्रकरणात सदर कालावधी लांबतो.) | प्रबंधक /कार्यकारी समितीचे सदस्य | |

फार्मसी निरीक्षण

कामाचे स्वरूप :- फार्मसी निरीक्षण

संबंधित तरतूद :- कलम 26 (क)

अधिनियमाचे नाव :- औषध व्यवसाय अधिनियम, 1948

नियम :- निरंक

शासन निर्णय :- शासनाचे पत्र क्र. एमपीसी-1089/1073/ सीआर-135 / 89/ अधिनियम दि. 10 डिसेंबर, 1998

व पत्र क्र. एमपीसी-2004/प्र.क्र. 195/04/अधिनियम दि. 9.12.2004.

परिपत्रके :- निरंक

कार्यालयीन आदेश :- निरंक

| अनु.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
|----------|--|--------------|-----------------------------|----------|
| 1 | कलम 42 ची अंमलबजावणी करण्याकरीता जेथे औषधे दिली जातात अशा विविध वैद्यकीय आस्थापनांची (अन्न व औषध प्रशासनाची अनुज्ञप्ती असलेल्या आस्थापना वगळून) तपासणी करून फार्मसी निरीक्षकांनी अहवाल प्रबंधकांस सादर करणे. | लागू नाही. | प्रबंधक | |

पंजिकृत औषध व्यवसायींच्या नोंदवहीतून नांव काढून टाकणे.

कामाचे स्वरूप :- पंजिकृत औषध व्यवसायीने गर्हणीय वर्तन केले असल्यास पंजिकृत औषध व्यवसायींच्या नोंदवहीतून नांव काढून टाकणे.

संबंधित तरतूद :- कलम 36

अधिनियमाचे नाव :- औषध व्यवसाय अधिनियम, 1948

नियम :- नियम 63 ते 71, महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषद नियम, 1969

शासन निर्णय :- निरंक

परिपत्रके :- निरंक

कार्यालयीन आदेश :- निरंक

| अनु.क्र. | कामाचे स्वरूप | कालावधी दिवस | कामासाठी जबाबदार अधिकारी | अभिप्राय |
|----------|--|-----------------------------|--------------------------|--|
| 1 | पंजिकृत औषध व्यवसायीने गर्हणीय वर्तन केले असल्यास पंजिकृत औषध व्यवसायींच्या नोंदवहीतून नांव काढून टाकण्याच्या बाबी प्रबंधकांनी परिषदेच्या बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवणे | सर्वसाधारणपणे 6 ते 8 महिने. | परिषदेचे सदस्य | पंजिकृत औषध व्यवसायींच्या नोंदवहीतून नांव काढून टाकण्याकरीता कायद्यातील व नियमातील तरतूदीनुसार परिषदेच्या बैठकीमध्ये मान्यता आवश्यक, परिषदेच्या बैठका वर्षातून दोनदा दर सहा महिन्याने होत असल्यामुळे कालावधी नमूद केल्याप्रमाणे. |

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (अ)

नमुन्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण

संघटनाचे लक्ष (वार्षिक)

| अनु.क्र. | काम/कार्य | कामाचे प्रमाण | आर्थिक लक्ष | अभिप्राय |
|----------|-----------|---------------|-------------|----------|
| निरंक | | | | |

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (ब)

कामाची कालमर्यादा -----काम पूर्ण होण्यासाठी

| अनु.क्र. | काम/कार्य | दिवस/तास पूर्ण करण्यासाठी | जबाबदार अधिकारी | तक्रार निवारण अधिकारी |
|----------|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| निरंक | | | | |

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (अ)

महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेच्या कामाशी संबंधित नियम/अधिनियम

| अनु.क्र. | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियम क्रमांक व वर्षे | अभिप्राय (असल्यास) |
|----------|---|----------------------|--------------------|
| 1 | औषध व्यवसाय अधिनियम, 1948 | कलम 29 ते 46 | |
| 2 | महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषद नियम, 1969 | संपूर्ण | |

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (ब)

महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेच्या कामाशी संबंधित शासन निर्णय

| अनु.क्र. | शासन निर्णयानुसार दिलेले विषय | शासन निर्णय क्रमांक व तारीख | अभिप्राय (असल्यास) |
|----------|--|---|---|
| 1 | औषध व्यवसाय अधिनियम,1948 या कायद्याचे कलम 26(अ) मधील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र राज्य औषध परिषदेच्या आस्थापनेवर औषध व्यवसाय अधिनियम,1948 या कायद्याचे कलम 42 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी 4 मानसेवी फार्मसी निरीक्षक नेमण्यास मान्यता आहे. | शासनाचे पत्र क्र. एमपीसी-1089/1073/ सीआर-135 / 89/ अधिनियम दि.10 डिसेंबर,1998 | |
| 2 | संपूर्ण राज्याकरीता 5(पाच) फार्मसी निरीक्षक रु.5000-150-8000 या वेतनश्रेणीत नियुक्त करण्यास शासनाची मान्यता आहे. | पत्र क्र. एमपीसी-2004/प्र.क्र.195/04/अधिनियम दि.9.12.2004. | फार्मसी निरीक्षकांची सेवा मानसेवी न ठेवता त्यांना नियमित सेवेत घेण्यात आले. |

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (क)

महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेच्या कामाशी संबंधित परिपत्रके

| अनु.क्र. | शासकीय परिपत्रकानुसार दिलेले विषय | परिपत्रक क्रमांक व तारीख | अभिप्राय (असल्यास) |
|----------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| निरंक | | | |

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (ड)

महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेच्या कामाशी संबंधित कार्यालयीन आदेश/धोरणात्मक परिपत्रके

| अनु.क्र. | विषय | क्रमांक व तारीख | अभिप्राय (असल्यास) |
|--|------|-----------------|--------------------|
| केन्द्रीय परिषदेकडून (Pharmacy Council of India) वेळोवेळी आलेल्या धोरणात्मक परिपत्रकानुसार कार्यवाही करण्यात येते. | | | |

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (इ)

महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध दस्तावेजांची यादी

दस्तावेजाचा विषय :

| अनु.क्र. | दस्तावेजाचा प्रकार | विषय | संबंधित व्यक्ती/पदनाम | व्यक्तींचे ठिकाण (उपरोक्त कार्यालयात उपलब्ध नसल्यास) |
|----------|--|------|--------------------------|---|
| 1 | पंजिकृत औषध व्यवसायांची नोंदवही (औषध व्यवसाय अधिनियम, 1948 च्या कलम 29 मध्ये नमूद केलेला तपशील पंजिकृत औषध व्यवसायांच्या नोंदवहीत ठेवणे) | | प्रबंधक | |
| 2 | अर्ज (पंजीकरणाकरीता आलेले मूळ अर्ज) | | प्रबंधक | |
| 3 | इतिवृत्तांत (परिषदेच्या व कार्यकारी समितीच्या बैठकांचे इतिवृत्तांत) | | प्रबंधक | |
| 4 | सेवा पुस्तके | | उपनिबंधक | |
| 5 | अर्थसंकल्प व लेखा विवरण पत्रे | | लेखापाल | |
| 6 | आवक-जावक नोंदवही | | वरिष्ठ लिपिक | |
| 7 | ओळखपत्र नोंदवही | | लेखापाल | |
| 8 | लॉगबुक | | लेखापाल | |
| 9 | हात बटवडा नोंदवही | | वरिष्ठ लिपिक | |
| 10 | कार्यभार नोंदवही | | उपनिबंधक | |
| 11 | झेरॉक्स प्रती नोंदवही | | लेखापाल | |
| 12 | नैमित्तिक रजा व अधिकारी/कर्मचारी यांचे निवासस्थानाचे पत्ते नोंदवही | | उपनिबंधक | |
| 13 | सवलत नोंदवही | | उपनिबंधक | |
| 14 | किरकोळ रोकड नोंदवही | | लेखापाल | |
| 15 | नोटिफिकेशन सर्व प्रकारच्या | | उपनिबंधक | |
| 16 | नोटिफिकेशन बाबत पत्रव्यवहार | | उपनिबंधक | |
| 17 | वैयक्तिक धारिका | | उपनिबंधक | |
| 18 | कार्यालयीन जागेच्या मंजूरीबाबत पत्रव्यवहार | | उपनिबंधक | |
| 19 | फार्मसी निरीक्षक बदली संबंधीचे पत्रव्यवहार | | उपनिबंधक | |
| 20 | नेमणूकीसंबंधीचे पत्रव्यवहार | | उपनिबंधक | |
| 21 | शासकीय परिपत्रके/निर्णय | | उपनिबंधक | |
| 22 | लोकसभा/विधानसभा तारांकित प्रश्न व आश्वासने धारिका | | उपनिबंधक | |
| 23 | अर्जित रजेसंबंधीचा पत्रव्यवहार | | उपनिबंधक | |
| 24 | जडसंग्रह फर्निचर यंत्रसामुग्री नोंदवही | | लेखापाल | |

| | | | | |
|----|--|--|---------|--|
| 25 | Annual Establishment Return (Books of establishment)and paybills | | लेखापाल | |
| 26 | सर्व अधिकारी व कर्मचा-यांचे भविष्य निवाह निधी लेखा | | लेखापाल | |
| 27 | सर्व अधिकारी व कर्मचा-यांचे वेतन देयके व वेतन पट | | लेखापाल | |
| 28 | Cash books | | लेखापाल | |
| 29 | पावती पुस्तके | | लेखापाल | |
| 30 | Register of Contingent expenditure | | लेखापाल | |
| 31 | Local Fund लेखा तपासणी अहवालं | | लेखापाल | |
| 32 | Statement of monthly progressive expenditure | | लेखापाल | |
| 33 | धनादेश नोंदवही, बिल नोंदवही | | लेखापाल | |
| 34 | भ.नि.नि अग्रीम देयके | | लेखापाल | |

कलम 4 (1) (ब) (vi)

महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेच्या कार्यालयामध्ये दस्ताऐवजांची वर्गवारी

| अनु.क्र. | विषय | दस्ताऐवजाचा प्रकार नस्ती/मस्टर/ नोंदपुस्तक, व्हाउचर इ. | प्रमुख बाबींचा तपशीलवार | सुरक्षित ठेवण्याचा कालावधी |
|---|------|--|----------------------------|-------------------------------|
| कलम 4 (1) (ब) (v) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे. | | | | |

कलम 4 (1) (ब) (vii)

महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेच्या कार्यालयाच्या परिणामकारक कामासाठी जनसामान्यांशी सल्ला मसलत करण्याची व्यवस्था .

| अनु.क्र. | सल्लामसलतीचा विषय | कार्यप्रणालीचे विस्तृत वर्णन | कोणत्या अधिनियमा/ नियमा/परिपत्रकाद्वारे | पुनरावृत्तीकाल |
|------------|----------------------|------------------------------|---|----------------|
| लागू नाही. | | | | |

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (अ)

महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेच्या कार्यालयाच्या समितीची यादी प्रकाशित करणे.

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (ब)

महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेच्या कार्यालयाच्या अधिसभांची यादी प्रकाशित करणे.

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमूना (क)

महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेच्या कार्यालयाच्या परिषदांची यादी प्रकाशित करणे.

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमूना (ड)

महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेच्या कार्यालयाच्या कोणत्याही संस्थेची यादी प्रकाशित करणे.

कलम 4 (1) (ब) (ix)

महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेच्या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांची नावे, पत्ते व त्यांचे मासिक वेतन.

| अनु.क्र. | पदनाम | अधिकारी/ कर्मचा-याचे नाव | वर्ग | रुजू दिनांक | दूरध्वनी क्र./ फॅक्स/ईमेल | एकूण वेतन |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--|---|
| 1 | प्रबंधक | सौ.सायली मसाल | 1 | 1.1.2000 | 25684291, फॅक्स - 25684418 ईमेल - mspc1@vsnl.net | सदर कर्मचारी वृदांना शासकीय कर्मचा-यांना देण्यात येणारे वेतन व भत्ते नियमानुसार अदा करण्यात येतात. |
| 2 | उपनिबंधक | विवेक चौधरी | 2 | 11.12.2006 | -----''----- | |
| 3 | लेखापाल | रो.रा.जाधव | - ''- | 1.4.1994 | -----''----- | |
| 4 | लघुलेखक | सौ.गौ.य.शिंगवेकर | - ''- | 16.10.1997 | -----''----- | |
| 5 | संगणक चालक | सौ.व.प. पसरणीकर | - ''- | 1.10.1997 | -----''----- | |
| 6 | वरिष्ठ लिपिक | र.य. साळवी | - '' | 1.7.1988 | -----''----- | |
| 7 | वरिष्ठ लिपिक | सौ. सु.हे. बापट | - ''- | 1.4.1994 | -----''----- | |
| 8 | कनिष्ठ लिपिक | सौ.नेहा मि.नाईक | - ''- | 1.2.1996 | -----''----- | |
| 9 | कनिष्ठ लिपिक | सौ.अ.प्र.मपारा | - ''- | 1.3.1997 | -----''----- | |
| 10 | कनिष्ठ लिपिक | ध.जो.जाधव | - ''- | 1.3.1997 | -----''----- | |
| 11 | कनिष्ठ लिपिक | सौ.वि.ग. नाईक | - ''- | 2.8.1997 | -----''----- | |
| 12 | कनिष्ठ लिपिक | सौ. मृदुला रेखी | - ''- | 1.10.2002 | -----''----- | |
| 13 | कनिष्ठ लिपिक | सौ.साक्षी येलकर | - ''- | 1.10.2002 | -----''----- | |
| 14 | कनिष्ठ लिपिक | श्री.ल.दा.गावडे | - ''- | 1.4.1994 | -----''----- | |
| 15 | दफ्तरी | श्री.मा.पि.आळ्हाड | 4 | 1.4.1993 | -----''----- | |
| 16 | शिपाई | श्री.प.ग.परब | - ''- | 1.3.1997 | -----''----- | |
| 17 | शिपाई | श्री.भ.द.थोपटे | - ''- | 1.9.2002 | -----''----- | |
| 18 | शिपाई | श्री. सुनील रेडकर | - ''- | 1.12.2005 | -----''----- | |
| 19 | वाहन चालक | श्री. बाळू कचरु पगारे | 3 | 1.10.2002 | -----''----- | |
| 20 | फार्मसी निरीक्षक | श्री. सचिन ब्राह्मणकर | 3 | 21.1.2005 | -----''----- | |
| 21 | फार्मसी निरीक्षक | श्री. प्रवीण राऊत | 3 | 21.1.2005 | -----''----- | |
| 22 | फार्मसी निरीक्षक | श्री. प्रदीप व्हटकर | 3 | 21.1.2005 | -----''----- | |
| 23 | फार्मसी निरीक्षक | श्री. दुर्गेश दुबे | 3 | 21.1.2005 | -----''----- | |
| 24 | औषध माहिती केन्द्र प्रमुख | कु.विभावरी लाठी (करार तत्वावर) | | 20.4.2010 | -----''----- | |
| 25 | कंत्राटी लिपिक | सौ.सुप्रिया पाटील | | | -----''----- | |

कलम 4 (1) (ब) (x)

महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेच्या कार्यालयाच्या अधिकारी व कर्मचा-याची वेतनाची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणे.

| अनु.क्र. | वर्ग | वेतन रूपरेषा | इतर अनुज्ञेय भत्ते | | |
|--|------|--------------|--|--------------------------------|--|
| | | | नियमित (महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, शहर भत्ता) | प्रसंगानुसार (जसे प्रवासभत्ता) | विशेष (जसे प्रकल्प भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता) |
| महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेच्या कार्यालयाच्या अधिकारी व कर्मचा-यांना शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणेच वेतन व इतर अनुज्ञेय भत्ते नियमानुसार अदा करण्यात येतात. | | | | | |

कलम 4 (1) (ब) (xi)

महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेच्या कार्यालयाचे मंजूर अंदाजपत्रक व खर्चाचा तपशील याची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणे

- अंदाजपत्रकाच्या प्रतीचे प्रकाशन
- अनुदानाच्या वितरणाच्या प्रतीचे प्रकाशन

| अनु.क्र. | अंदाजपत्रकीय शीर्षाचे वर्णन | अनुदान | नियोजित वापर (क्षेत्र व कामाचा तपशील) | अधिक अनुदान अपेक्षित असल्यास रूपयात | अभिप्राय |
|---|-----------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| या परिषदेस राज्य शासनाकडून कोणतेही अनुदान मिळत नाही. ही परिषद खालील प्रयोजनाकरीता येणारा खर्च हा पंजीकरण व त्या अनुषंगिक इतर फीच्या माध्यमातून मिळणा-या मिळकतीतून भागविते :- | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. परिषदेच्या अधिकारी व कर्मचा-यांचे वेतन व भत्ते आणि इतर प्रशासकीय खर्च. 2. परिषदेच्या आणि कार्यकारी समितीच्या सभासदांना द्वावयाचा बैठकीचा भत्ता /प्रवास भत्ता. 3. फार्मसी कायदा व नियमाखालील कर्तव्ये व कामे पार पाडण्याकरीता आवश्यक असतील असे इतर प्रशासकीय खर्च. 4. परिषदेच्या ठरावानुसार राबविण्यात येणा-या उपक्रमाअंतर्गत संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींना बोलाविल्यास त्याचे मानधन /बैठक भत्ता/प्रवास भत्ता व इतर अनुषंगिक खर्च. | | | | | |

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (अ)

महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेच्या कार्यालयातील अनुदान वाटपाच्या कार्यक्रमाची कार्यपद्धती ----- या वर्षासाठी प्रकाशित करणे.

लागू नाही.

महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेच्या कार्यालयातील अनुदान कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थीची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणे

योजना/कार्यक्रमाचे नांव :

| अनु.क्र. | लाभार्थीचे नांव व पत्ता | अनुदान /लाभ याची रक्कम/स्वरूप | निवड पात्रतेचे निकष | अभिप्राय |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| लागू नाही. | | | | |

कलम 4 (1) (ब) (xiii)

महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेच्या कार्यालयातील मिळणा-या /सवलतीचा परवाना याची चालू वर्धाची तपशीलवार माहिती.

परवाना / परवानगी / सवलतीचे प्रकार

| अ.क्र. | परवाना धारकाचे नांव | परवान्याचा प्रकार | परवाना क्रमांक | दिनांकापासून | दिनांकापर्यंत | साधारण अटी | परवान्याची विस्तृत माहिती |
|--------|-------------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | सौ.वर्षा पसरणीकर, संगणक चालक अग्रीम | नवीन वैयक्तिक संगणक अग्रीम | शासन निर्णय क्र.अग्रिम-1000/ प्र.क्र.42/ 2000/विनियम,दिनांक 1 जुलै,2006 | अग्रिमाची परतफेड जून,2007 पासून | जुलै,2011 पर्यंत | संदर्भिय निर्णयातील अटींनुसार | |
| 2 | सौ. सुखदा बापट,वरिष्ठ तिपिक | नवीन वैयक्तिक संगणक अग्रीम | शासन निर्णय क्र.अग्रिम-1000/ प्र.क्र.42/ 2000/विनियम,दिनांक 1 जुलै,2006 | अग्रिमाची परतफेड जानेवारी, 2008 पासून | फेब्रुवारी, 2012 पर्यंत | संदर्भिय निर्णयातील अटींनुसार | |
| 3 | श्री.विवेक चौधरी, उपनिबंधक अग्रीम | नवीन वैयक्तिक संगणक अग्रीम | शासन निर्णय क्र.अग्रिम-1000/ प्र.क्र.42/ 2000/विनियम,दिनांक 1 जुलै,2006 | अग्रिमाची परतफेड जुलै,2009 पासून | ऑगस्ट, 2013 पर्यंत | संदर्भिय निर्णयातील अटींनुसार | |
| 4 | श्री. धनाजी जाधव, कनिष्ठ तिपिक | नवीन वैयक्तिक संगणक अग्रीम | शासन निर्णय क्र.अग्रिम-1000/ प्र.क्र.42/ 2000/विनियम,दिनांक 1 जुलै,2006 | अग्रिमाची परतफेड जून,2010 पासून | जुलै,2014 पर्यंत | संदर्भिय निर्णयातील अटींनुसार | |
| 5 | श्री.लक्ष्मण गावडे, कनिष्ठ तिपिक | नवीन वैयक्तिक संगणक अग्रीम | शासन निर्णय क्र.अग्रिम-1000/ प्र.क्र.42/ 2000/विनियम,दिनांक 1 जुलै,2006 | अग्रिमाची परतफेड जून,2010 पासून | जुलै,2014 पर्यंत | संदर्भिय निर्णयातील अटींनुसार | |

कलम 4 (1) (ब) (xiv)

महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेच्या कार्यालयातील माहितीचे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात साठविलेली माहिती प्रकाशित करणे.
चालू वर्षाकरीता.

| अ.क्र. | दस्तऐवजाचा प्रकार | विषय | कोणत्या इलेक्ट्रॉनिक नमुन्यात | माहिती मिळविण्याची पद्धती | जबाबदार व्यक्ती |
|--------|---|------|---|---------------------------|-----------------|
| 1 | औषध व्यवसाय अधिनियम, 1948 | | वेबसाईट www.mspcindia.org | इंटरनेटद्वारे | उपनिबंधक |
| 2 | महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषद नियम, 1969 | | -----“ ----- | ----“ ---- | ----“ ---- |
| 3 | पंजिकृत औषध व्यवसायांची पंजीकरणाशी संबंधित माहिती | | -----“ ----- | ----“ ---- | ----“ ---- |
| 4 | पंजीकरण, व त्या अनुषंगिक इतर संबंधित अर्ज व प्रतिज्ञापत्राचे नमुने | | -----“ ----- | ----“ ---- | ----“ ---- |
| 5 | परिषद सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी यांची माहिती | | -----“ ----- | ----“ ---- | ----“ ---- |
| 6 | परिषदचे उपक्रम व घडामोर्डीविषयी माहिती | | -----“ ----- | ----“ ---- | ----“ ---- |
| 7 | भारतीय औषध व्यवसाय परिषदेकडून मान्यताप्राप्त असलेल्या महाराष्ट्रातील फार्मसी पदवी/पदविका महाविद्यालयांची यादी | | -----“ ----- | ----“ ---- | ----“ ---- |

कलम 4 (1) (ब) (xv)

महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेच्या कार्यालयात उपलब्ध सुविधांचा तक्ता प्रकाशित करणे.

उपलब्ध सुविधा :

- भेटण्याच्या वेळेसंदर्भात माहिती. : कार्यालयीन वेळात.
 - वेबसाइट विषयी माहिती. : www.mspcindia.org
 - कॉलसेंटर विषयी माहिती. : लागू नाही.
 - अभिलेख तपासणीसाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती. : संबंधित अधिका-याशी कार्यालयीन वेळेत पूर्वसूचना देऊन संपर्क
 - कामाच्या तपासणीसाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती. : ----“ ----
 - नमुने मिळण्याबाबत उपलब्ध माहिती. : ----“ ----
 - सूचना फलकाची माहिती. : कार्यालयाच्या दर्शनी भागात सूचना फलक लावला आहे.
 - ग्रंथालय विषयी माहिती. : लागू नाही.

| अ.क्र. | सुविधेचे प्रकार | वेळ | कार्यपद्धती | ठिकाण | जबाबदार व्यक्ती/कर्मचारी | तक्रार निवारण |
|--------|-----------------|-----|-------------|-------|-----------------------------|---------------|
| | | | लागू नाही. | | | |

कलम 4 (1) (ब) (xvi)

महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेच्या कार्यालयातील शासकीय माहिती अधिकारी/सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी/अपिलीय प्राधिकारी (तेथील लोक प्राधिकारीच्या कार्यक्षेत्रातील) यांची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणे.

अ. शासकीय माहिती अधिकारी

| अ.क्र. | शासकीय माहिती अधिका-याचे नांव | पदनाम | कार्यक्षेत्र | पत्ता/फोन | ई-मेल | अपिलीय प्राधिकारी |
|--------|-------------------------------|----------|------------------|--|----------------|-------------------|
| 1. | श्री. विवेक दत्तात्रय चौधरी | उपनिबंधक | महाराष्ट्र राज्य | राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय आवार, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, मुलुंड (पश्चिम), मुंबई-400080 25684291/25684418 | mspc1@vsnl.net | प्रबंधक |

ब. सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी

| अ.क्र. | सहाय्यक शासकीय माहिती अधिका-याचे नांव | पदनाम | कार्यक्षेत्र | पत्ता/फोन | ई-मेल |
|--------|---------------------------------------|-------|--------------|-----------|-------|
| निरंक | | | | | |


क. अपिलीय प्राधिकारी

| अ.क्र. | शासकीय माहिती अधिका-याचे नांव | पदनाम | कार्यक्षेत्र | पत्ता/फोन | ई-मेल | यांच्या अधिनस्त शासकीय माहिती अधिकारी |
|--------|-------------------------------|---------|------------------|--|----------------|---------------------------------------|
| 1. | सौ.सायली मसाल | प्रबंधक | महाराष्ट्र राज्य | राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय आवार, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, मुलुंड (पश्चिम), मुंबई-400080 25684291/25684418 | mspc1@vsnl.net | श्री. विवेक दत्तात्रय चौधरी, उपनिबंधक |

कलम 4 (1) (ब) (xvii)

महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेच्या कार्यालयातील प्रकाशित माहिती.

संस्थेचा प्रारूप तक्ता



महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषदेची उपलब्ध सेवा - औषध माहिती केन्द्र

